महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

Email- registrar.msduniversity.azamgarh@gmail.com

Website: www.msdsu.ac.in

पत्रांक– 1240/कु0का0/2023 दिनांक– 16/03/2023

प्रेस विज्ञप्ति

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक पद हेतु सम्बद्ध महाविद्यालयों में कार्यरत् शिक्षकगण से सादे कागज पर आवेदन–पत्र समस्त प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति सहित उचित माध्यम से आमंत्रित किये जाते है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अशंकालिक कार्यक्रम समन्वयक पद हेतु निम्नलिखित अर्हतायें निर्धारित है :–

1. विश्वविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय में रीडर/प्रवक्ता (चयन वेतनमान)/प्रवक्ता (वरिष्ठ वेतनमान) पद पर कार्यरत होना चाहिए।
2. सम्बद्ध कॉलेजों के प्राचार्य/प्राचार्या जिन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना की पृष्ठभूमि की जानकारी हो तथा रीडर का दर्जा प्राप्त हो, को भी कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है।
3. वह राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम अधिकारी के पद पर न्यूनतम तीन वर्ष तक कार्यरत रहा हो।
4. प्रशिक्षण तथा अभिविन्यास केन्द्र/प्रशिक्षण अभिविन्यास तथा अनुसंधान केन्द्र से राष्ट्रीय सेवा योजना पर अभिविन्यास किया होना चाहिए।
5. अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक पद हेतु चयन के समय उसे 50 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

विश्वविद्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 22.03.2023 है। उसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।

भवदीय

(वी0पी0 कौशल)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
2. समस्त प्राचाय/प्राचार्या को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने महाविद्यालय में कार्यरत् शिक्षकगण के मध्य प्रसारित करा दे जिससे इच्छुक शिक्षकगण निर्धारित तिथि के अन्दर आवेदन विश्वविद्यालय को प्रेषित कर सकें।
3. मीडिया प्रभारी को इस आशय से प्रेषित कि समस्त/सम्मानित दैनिक समाचार पत्रों मे निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
4. नोटिस बोर्ड।

कुलसचिव

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

Email- registrar.msduniversity.azamgarh@gmail.com

Website: www.msdsu.ac.in

उक्त 01 से 05 तक की अर्हताधारियों से चयन हेतु शासनादेश संख्या–1309/सत्तर–रा०से०यो०को–26/92, दिनांक 23.08.1999 के पेरा–1 के अनुसार राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में अंशकालिक कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वयक/एसोसिएट कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति भारत सरकार के निर्देशानुसार एक चयन समिति के माध्यम से तीन वर्ष के लिये की जाती है।

इस हेतु चयन समिति निम्नलिखित रूप से गठन किये जाने का निर्देशित किया गया है–

1.	विश्वविद्यालय के कुलपति	अध्यक्ष
2.	शिक्षा सचिव या सचिवालय राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित अधिकारी या नामित	सदस्य
3.	भारत सरकार द्वारा नामित क्षेत्रीय केन्द्र का अधिकारी	सदस्य
4.	विश्वविद्यालय के कुलसचिव	सदस्य

शासनादेश संख्या–1309/सत्तर–रा०से०यो०को–26/92, दिनांक 23.08.1999 के पैरा–7 के अनुसार किसी भी अवस्था में विश्वविद्यालय को स्थायी आधार पर कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति करने या बनाये रखने की अनुमति नहीं जानी चाहिये। कार्यक्रम समन्वयक के चयन के लिये विश्वविद्यालय परिसर तथा सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों से आवेदन आमंत्रित किये जाने चाहिये। चयन समिति की बैठक आहूत करने से पूर्व शासन तथा भारत सरकार के क्षेत्रीय केन्द्र को सम्बन्धित विज्ञप्ति की प्रति एक माह पूर्व उपलब्ध करायी जाये।